जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 11 / डी– 136 दिनांकः– 7-2-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 73वीं बैठक दिनांकः 27.01.11 को सांय 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
		73:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 72वीं बैठक दिनांक 24.12.10 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 72वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 72वीं बैठक दिनांक 24.12.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 72वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबंधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणो में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे। 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10 के प्रस्ताव सं. 68:8(4) में लिये गये निर्णय की पालना हेतु उपायुक्त जोन 5 को लिखा जावे कि वे आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रकरण रखना सुनिश्चित करे। भविष्य में जविप्रा की एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड विनिमय के प्रार्थना पत्र किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जावें एवं पूर्व में इस प्रकार जो विनिमय किये गये है, उनकी समीक्षा हेतु संबंधित जोन आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करे। केवल उपायुक्त जोन 4 व 5 द्वारा शुन्य सूचना प्रस्तुत की है। शेष उपायुक्त आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
2.	14	73:2	सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना में रिंग रोड से प्रभावित आवंटियों को अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	सूरजपुरा भाटावाला डेयरी योजना में रिंगरोड से प्रभावित 26 भूखण्डधारियों को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी जाने का निर्णय लिया गया।
3.	14	73:3	जविप्रा की आवासीय योजना पार्थ नगर के भूखण्ड संख्या ए–256, सी–536, सी–538 के स्थान पर पार्थ नगर योजना में ही समान क्षेत्रफल के भूखण्ड विनिमय में आवंटित किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार समान माप के भूखण्ड विनिमय में लॉटरी द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	12	73:4	भूखण्ड सं. सी–288, 289, 327, 337 व 338 रजत विहार के एवज में अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	कार्नर भूखण्ड सं. सी–288, सी–289, सी–327, सी–337 व सी–338 को नीलामी द्वारा विक्रय किया जावे। इनके स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध तीन भूखण्डों का लॉटरी से विनिमय किया जावे। शेष 2 भूखण्ड रिक्त होने पर विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
5.	9	73:5	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को एलपीसी की 68वीं बैठक में आवंटित भूमि दक्षिणपुरी फेज प्रथम के सुविधा क्षेत्र एवं श्रीकिशनपुरा की भूमि 1361.11 वर्गगज निःशुल्क के स्थान पर संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटित करने बाबत।	पत्रावली पर निर्णय स्थगित किया गया। कार्यवाही विचाराधीन रखी जावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
1.	8	73:5(1)	जयपुर जिला माली समाज को वृद्धाश्रम बेरोजगार प्रशिक्षण, छात्रावास, सामुहिक विवाह एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के अध्यक्ष द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का परीक्षण कर आगामी बैठक में एजेण्डा नोट प्रस्तुत करें।
2.	13	73:5(2)	श्री राहुल देव बोहरा को कल्पना नगर योजना में भूखण्ड सं. बी–133 में बढे हुए क्षेत्रफल 134.10 वर्गमीटर का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त की टिप्पणी दिनांक 16.12.10 के अनुसार बढे हुए क्षेत्रफल 134.10 वर्गमीटर का स्वतन्त्र भूखण्ड सृजित किया जा सकता है। अतः आवंटी को अतिरिक्त भूमि का आवंटन नहीं किया जाकर स्वतन्त्र भूखण्ड सृजित कर निस्तारित करने का निर्णय लिया गया।
3.	6	73:5(3)	ईस्लामी कमेटी को मुरलीपुरा स्कीम में मस्जिद के लिये भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि संस्था के प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राज्य सरकार के परिपत्र, धार्मिक संस्थाओं को आवंटन के नियमों के परिपेक्ष में परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
4.	9	73:5(4)	फेथ संस्था को एचआईवी पॉजीटिव हेतु भूमि आवंटन बाबत।	नगरीय विकास विभाग के परिपत्र प–3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 14.02.05 के बिन्दु सं. 14–1(क) में वर्णित श्रेणी में अनाथ एवं एचआईवी पॉजीटिव बच्चों के आवास को भी सम्मिलित करते हुए 1000 वर्गगज भूमि संस्था को निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
5.	7	73:5(5)	मोहता चिकित्सालय, बीकानेर को भूमि आवंटन बाबत।	संस्था के प्रतिनिधी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। उपायुक्त जोन प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर एजेण्डा नोट आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
6.	9	73:5(6)	जाटव महासभा को सामाजिक कार्य हेतु भूमि आवंटन बाबात।	अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति, जयपुर को सामुदायिक भवन, धर्मशाला, छात्रावास के प्रयोजनार्थ दांतली–सिरोली संस्थानिक क्षेत्र में भूखण्ड सं. आई–2 में से 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7.	4	73:5(7)	दुर्गापुरा हॉस्पीटल को न्यायालय के निर्णय की पालना में भूमि आवंटन बाबत।	मननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में सचिव र सुनवाई कर Negotiate करने का उल्लेख किया ग अतः प्रकरण में सचिव स्तर पर सुनवाई की जावे।
8.	8	73:5(8)	राजस्थान शाला स्वास्थ्य योग समिति को योग शाला स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	संस्था को सायपुरा संस्थानिक योजना में भूखण्ड र क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर संस्थानिक आरक्षित द आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का लिया गया।
9.	2	73:5(9)	राजस्थान पुलिस अकादमी को किशनबाग में भूमि आवंटन बाबत।	राजस्थान पुलिस अकादमी को दिनांक 23.02.99 व किशनबाग के खसरा नं. 50, 104, 105, 106 व 1 कुल 119 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन पत्र जारी गया था। किन्तु संस्था द्वारा राशि जमा न करा आवंटन दिनांक 15.10.05 को निरस्त कर दिया उक्त भूमि राजस्थान पुलिस अकादमी के कब्जें में इसका प्रशिक्षण कार्य हेतु उपयोग किया जा रह अतः उक्त में से 113 बीघा भूमि राजस्थान अकादमी को संस्थानिक अरक्षित दर पर आवंट अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया ग
10.	11	73:5(10)	सांगानेर कपडा रंगाई–छपाई एशोसियेशन को भूमि आवंटन बाबत।	संस्था को Common Effluent Treatment Plant स्थापना हेतु ग्राम मदरामपुरा के खसरा नं. 37 में से 3.5 बीघा भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंट अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया ग
11.	8	73:5(11)	अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 जयपुर डिस्कॉम सांगानेर जयपुर को सांयपुरा संस्थानिक क्षेत्र में आवंटित 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन बाबत।	अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम जयपुर डिस्कॉम सांगानेर जयपुर को सांयपुरा संस्थ क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर भूमि एलपीसी की 68वीं बैठ संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया था। संस्था ने सोडाला थाना स्थापित करने हेतु निग ली गई भूमि के बदले निःशुल्क आवंटन की मांग की अतः संस्था को एमयूडीएच की अध्यक्षता में आयो बैठक दिनांक 17.06.09 की पालना में सायपुरा संस्थ क्षेत्र में पूर्व में आवंटित भूमि 1000 वर्गमीटर को निः आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	4	73:5(12)	पुर्नवास नीति के तहत जविप्रा की सवाई गैटोर योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	जवाहर सर्किल के निर्माण के लिये अवाप्तशुदा भूमि बदले रामप्रसाद पुत्र श्री मोतीराम व शिमला देवी रामप्रसाद को ग्राम सवाई गैटोर में 50 वर्गगज आवंटन का निर्णय लिया गया।
13.	13	73:5(13)	समाज कल्याण विभाग को अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नायला हेतु भूमि आवंटन बाबत।	संस्था को ग्राम नायला के खसरा नं. 6/1 में से 2 भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का नि लिया गया।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
12. संयुक्त आयुक्त (संसाधन दिकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
13. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
14. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
16. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<u>उपस्थिति पत्र</u>

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 73वी बैठक दिनांक 27.01.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
4.	श्री वी.एस. सून्डा निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
7.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
8.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन– 8	विशेष आमंत्रित
9.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री महेन्द्र खींची, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री बाबू लाल गोयल, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री संजय जैन– उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पी. अरविन्द, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	विशेष आमंत्रित
14.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित